

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
सेक्टर-19, नया रायपुर-492002

क्रमांक-पु.मु./अमनि/छ.स.वल/मुख्या/राय/से.-3/आई/ 165 /18,

दिनांक 25 /01/2018

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की वाहिनियों के लिये आरक्षक (जी.डी.), आरक्षक एम.टी. (चालक) एवं आरक्षक ट्रेडमैन (अकुशल) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के इच्छुक, पात्र पुरुष/महिला उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर दिनांक 26/01/2018 से ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

(1) रिक्त पदों की संख्या :-

स.क्र.	पदनाम	रिक्त पद	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.पि.व. (गैर-क्रीमीलेयर)	योग
1	आरक्षक- जी.डी.	1300	546	156	416	182	1300
2	आरक्षक एम.टी. - चालक	133	56	16	42	19	133
3	आरक्षक ट्रेडमैन - कुक	128	54	15	41	18	128
4	आरक्षक ट्रेडमैन - वाटर कैरियर	71	30	8	23	10	71
5	आरक्षक ट्रेडमैन - नाई	33	14	4	10	5	33
6	आरक्षक ट्रेडमैन - धाँबी	41	17	5	13	6	41
7	आरक्षक ट्रेडमैन - स्वीपर	80	34	10	25	11	80
	कुल -	1786	751	214	570	251	1786

नोट :-

- आरक्षण :-विज्ञापित पदों में शासन के निर्देशानुसार पात्र भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10 %, पात्र नगर सैनिकों के लिये 25 % एवं महिलाओं के लिए 10 % समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण होगा।
- विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है। आवश्यकतानुसार संख्या घटाई/वढ़ाई जा सकती है।
- केवल तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिक को ही, नगर सैनिक कोटे में आरक्षण की पात्रता होगी।

(2) प्रस्तावित भर्ती कार्यक्रम :-

- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 26/01/2018 (शुक्रवार)
- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि 15/02/2018 (गुरुवार) रात्रि 11.59 तक
- परीक्षा शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग - रु. 200/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - रु. 125/-

- 4 आरक्षक (जी.डी.) - शारीरिक मापतौल एवं मूल प्रमाण-पत्रों की छानबीन तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा
भर्ती कार्यक्रम की तिथि पृथक से निर्धारित किया जाकर सूचना समाचार पत्रों प्रकाशित की जावेगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश-पत्र एवं अन्य जानकारी पुलिस वेब-साईट से प्राप्त कर सकेंगे।
- 5 आरक्षक एम.टी. (चालक) एवं आरक्षक ट्रेडमेन (अकुशल) - शारीरिक मापतौल एवं मूल प्रमाण-पत्रों की छानबीन तथा ट्रेड टेस्ट (प्रायोगिक परीक्षा-20 अंक)
उपरोक्तानुसार
- 6 लिखित परीक्षा आरक्षक (जी.डी.)/आरक्षक एम.टी. (चालक) एवं आरक्षक ट्रेडमेन (अकुशल)
उपरोक्तानुसार
- 7 चयन सूची जारी
उपरोक्तानुसार

(3) भर्ती केन्द्र :-

स.क्र.	भर्ती केन्द्र :- मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच, शारीरिक नापतौल (P.S.T.), शारीरिक दक्षता परीक्षा (P.E.T.), लिखित परीक्षा (Written Exam) हेतु -	जिलो के नाम जहाँ के अभ्यर्थी ही सम्मिलित होंगे
1	2री वाहिनी छ.स.वल, सकरी, जिला-विलासपुर	विलासपुर, मुंगेली, जाँजगीर-चौपा, रायगढ, कोरवा
2	4थी वाहिनी छ.स.वल, माना, जिला-रायपुर	रायपुर, बलौदावाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी
3	5वीं वाहिनी छ.स.वल, जगदलपुर, जिला-वस्तर	वस्तर, बीजापुर, सुकमा, दन्तेवाड़ा, नारायणपुर, काँकेर, कोण्डागाँव
4	8वीं वाहिनी छ.स.वल, जिला-राजनांदगाँव	दुर्ग, राजनांदगाँव, वेमेतरा, वालोद, कवीरधाम
5	10वीं वाहिनी छ.स.वल, सिलफिली, जिला-सूरजपुर	सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर

- (4) वेतनमान :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (प्रारंभिक वेतन रु. 19,500/-) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत देय भत्ते।

(5) निर्धारित आयु सीमा :-

- i दिनांक 1-1-2018 को आधार मानकर अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष से कम एवं 28 वर्ष से अधिक न हो।
- ii आरसक-जी.डी. पद हेतु - बस्तर संभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त जिलों (बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दन्तेवाड़ा, नारायणपुर, काँकेर एवं कोण्डागाँव) के मूल निवासी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में अधिकतम 33 वर्ष (सामान्य जाति के लिए), अधिकतम 38 वर्ष (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी वर्ग की महिलाओं के लिए)।
- iii यदि अभ्यर्थी आरक्षित प्रवर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक शिथिल की जावेगी।
- iv छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम-4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- v उन अभ्यर्थियों की भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों, अथवा रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, उच्चतर आयु सीमा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी :-
 1. कोई अभ्यर्थी जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
 2. कोई अभ्यर्थी जो अस्थायी पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा है, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी ;
 3. यदि कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार में की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुज्ञा दी जावेगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- vi ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो।
- vii अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपति के सर्वर्ण पति/परिन के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- viii खेल नीति के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी परिपत्र के प्रावधान लागू रहेंगे।
- IX उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हो, अधिकतम आयु सीमा को 36 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा। (शहीद राजीव गांधी पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान तथा महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतम आयुसीमा 5 वर्ष तक के लिये शिथिलनीय होगी)
- X स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमीशंड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयुसीमा उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि तक 8 वर्ष की सीमा के अध्वधीन रहते हुए शिथिल की जावेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान-कमीशंड अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बराबर शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित सामान्य अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाए अर्थात् उस नगर सैनिक/नान-कमीशंड अधिकारी को जिसने एक वर्ष की नगर सेना सेवा पूर्ण की हो उसे आवश्यकतानुसार सामान्य अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की, जिसने दो वर्ष की नगर सेना सेवा पूर्ण की हो उसे दो वर्ष की एवं ऐसे ही आगे के पूर्ण सेवा वर्षों के बराबर की छूट दी जाए।

(6) शैक्षणिक अर्हताएँ :-

आरक्षक (जी.डी.)

- 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे।
- उत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य स्थित विद्यालय से उत्तीर्ण (केवल अ.ज.जा. के अभ्यर्थी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे)।
- उत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल पीड़ित परिवार तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे।
- बस्तर संभाग के जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे।
- 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य स्थित विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए।
- उत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल पीड़ित परिवार तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे।
- आरक्षक एम.टी. (चालक) पद हेतु भारी वाहन चालन का लायसेंस होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थियों को आवेदित पद (ट्रेड) का व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। तत्संबंधी अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आरक्षक एम.टी. (चालक) एवं

आरक्षक ट्रेडमेन (कुक/वाटर

कैरियर/नाई/घोबी/स्वीपर)

निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए।

(7) शारीरिक अर्हता :-

आरक्षक (जी.डी.)

क्रमांक	विवरण	पुरुष अभ्यर्थियों के लिये			महिला अभ्यर्थियों के लिये
		ऊँचाई से.मी.	वक्ष (सीना) से.मी. में अविस्तारित	पूर्णतः विस्तारित	
1	सामान्य जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	168	81	86	158
2	अनुसूचित जाति, मराठा	165	79	84	158
3	गोरखा, गढ़वाली तथा कुमाऊँ	158	76	81	158
4	सरगुजा संभाग के जिलों (सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर) के अनुसूचित जनजाति	153	79	84	153
5	शेष राजस्व जिलों के अनुसूचित जनजाति	158	79	84	158
6	बस्तर संभाग के जिलों (बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दन्तेवाड़ा, नारायणपुर, काँकेर एवं कोण्डागाँव) के मूल निवासी सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये -	163	79	84	153
7	बस्तर संभाग के जिलों (बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दन्तेवाड़ा, नारायणपुर, काँकेर एवं कोण्डागाँव) के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये -	150	74	79	148

- अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सें.मी. का अंतर होना आवश्यक है इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी। महिला अभ्यर्थियों को इस शारीरिक अर्हता से छूट रहेगी।

आरक्षक एम.टी. (चालक) एवं आरक्षक ट्रेडमेन (कुक/वाटर कैरियर/नाई/धोबी/स्वीपर)

क्रमांक	विवरण	पुरुष अभ्यर्थियों के लिये		महिला अभ्यर्थियों के लिये
		ऊँचाई से.मी.	वस (सीना) से.मी. में अविस्तारित पूर्णतः विस्तारित	ऊँचाई से.मी.
1	सामान्य जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	162	76 81	158
2	अ.जा., मराठा, गोरखा, गढ़वाली तथा कुमाऊँ	158		158
3	बस्तर संभाग के जिलों (बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दन्तेवाड़ा, नारायणपुर, कॉंकेर एवं कोण्डागाँव) एवं सरगुजा संभाग के जिलों (सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया एवं बलरामपुर) के अनुसूचित जनजाति	153		153
4	शेष राजस्व जिलों के अनुसूचित जनजाति	158		158

- अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 से.मी. का अंतर होना आवश्यक है इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी। महिला अभ्यर्थियों को इस शारीरिक अर्हता से छूट रहेगी।

नोट:-

1. अभ्यर्थी शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी में नॉक नी, पलेट फूट नहीं होना चाहिए। नॉक नी एवं पलेट फूट से संबंधित अर्हता सभी पदों के लिये अनिवार्य है तथा सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त कारणों से अनुपयुक्त ठहराये गये अभ्यर्थियों के संबंध में निर्णय ले सकेगा तथा आवश्यक होने पर जिला चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेगा।
3. अभ्यर्थी को आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आँखों की दृष्टि एक आँख की दृष्टि 6/9 तथा दूसरी आँख की 6/12 होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए।
4. शारीरिक अर्हता एवं नापजोख में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर संबंधित भर्ती केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सभी के लिये मान्य होगा।

(8) परीक्षा कार्यक्रम :-

(क) आरक्षक (जी.डी.)

1. शारीरिक नापजोख एवं प्रमाण पत्रों की छानबीन :- प्रथमतः बिन्दु क्रमांक-7 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार शारीरिक नापजोख किया जावेगा तथा शारीरिक नापजोख में पात्र पाये गये अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों की छानबीन की जावेगी।

2. शारीरिक दक्षता परीक्षा :-

प्रथम चरण अन्तर्गत शारीरिक नापजोखा परीक्षण एवं आवेदन-पत्रों की छानबीन में पात्र पाये गये सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (P.E.T.) में भाग लेना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत 03 प्रतिस्पर्धाएँ होगी, जिसके लिये कुल 150 अँक रखे गये हैं। प्रतिस्पर्धाओं के प्रकार एवं समय तथा अँक संबंधी मापदण्ड (पैरामीटर) निम्नानुसार होगा:-

इवेन्ट (प्रतिस्पर्धाएँ) पुरुष अभ्यर्थी	इवेन्ट (प्रतिस्पर्धाएँ) महिला अभ्यर्थी	अँक
400 मीटर दौड़	400 मीटर दौड़	
01 मिनट 08 सेकेण्ड	01 मिनट 15 सेकेण्ड	50
01 मिनट 11 सेकेण्ड	01 मिनट 18 सेकेण्ड	40
01 मिनट 14 सेकेण्ड	01 मिनट 21 सेकेण्ड	30
01 मिनट 17 सेकेण्ड	01 मिनट 24 सेकेण्ड	20
01 मिनट 20 सेकेण्ड	01 मिनट 27 सेकेण्ड	10
01 मिनट 23 सेकेण्ड	01 मिनट 30 सेकेण्ड	05
01 मिनट 24 सेकेण्ड या इससे अधिक	01 मिनट 31 सेकेण्ड या इससे अधिक	00
1500 मीटर दौड़	800 मीटर दौड़	
05 मिनट	02 मिनट 30 सेकेण्ड	50
05 मिनट 10 सेकेण्ड	02 मिनट 45 सेकेण्ड	40
05 मिनट 20 सेकेण्ड	03 मिनट	30
05 मिनट 30 सेकेण्ड	03 मिनट 15 सेकेण्ड	20
05 मिनट 40 सेकेण्ड	03 मिनट 30 सेकेण्ड	10
05 मिनट 41 सेकेण्ड या इससे अधिक	03 मिनट 31 सेकेण्ड या इससे अधिक	00
05 किलोमीटर दौड़	03 किलोमीटर दौड़	
16 मिनट	13 मिनट	50
21 मिनट	18 मिनट	40
26 मिनट	23 मिनट	30
31 मिनट	28 मिनट	20
36 मिनट	33 मिनट	10
41 मिनट	38 मिनट	05

अभ्यर्थियों को उपरोक्त तीनों प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक प्रतिस्पर्धा के लिये अभ्यर्थी को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पात्र होने के लिये अनारक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित 150 अँकों में से 75 अँक (50%) तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 60 अँक (40%) अर्जित करना अनिवार्य होगा।

3. लिखित परीक्षा

आरक्षक (जी.डी.) की शारीरिक प्रवीणता टेस्ट परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट प्रवर्गवार तैयार की जावेगी तथा इस लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुणा आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जावेगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण (लिखित परीक्षा) में प्रवेश की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुणा से अधिक हो जाये। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 02 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जावेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

(ख) आरक्षक एम.टी. (चालक) एवं आरक्षक ट्रेडमेन (अकुशल)

1. **शारीरिक नापजोख एवं प्रमाण पत्रों की छानबीन :-** प्रथमतः विन्दु क्रमांक-7 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार शारीरिक नापजोख किया जावेगा तथा शारीरिक नापजोख में पात्र पाये गये अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्रों की छानबीन की जावेगी।

2. **ट्रेड टेस्ट [लिखित परीक्षा 80 अंक + प्रायोगिक 20 अंक] :-**

आरक्षक एम.टी. (चालक) एवं आरक्षक ट्रेड (कुक्/वाटर कैरियर/नाई/धोबी/स्वीपर) हेतु आवेदित अभ्यर्थियों में से शारीरिक नापजोख परीक्षण एवं आवेदन-पत्रों की छानबीन में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को संबंधित ट्रेड में टेस्ट देना होगा जो 100 अंकों [ट्रेड से संबंधित लिखित परीक्षा-80 अंक एवं प्रायोगिक परीक्षा-20 अंक कुल-100 अंक] का रहेगा। ट्रेड टेस्ट में सफल होने के लिए अनारक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 50 % तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को 40 % अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा।

(9) बोनस अंक :-

नीचे दर्शाये अनुसार प्रत्येक शीर्ष क, खा, ग तथा घ के अंतर्गत 5 अंक का बोनस अंक विहित है अधिकतम 10 अंक।

(क) भारी मोटर यान चालन अनुज्ञप्ति धारक;

(ख) शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था से कम्प्यूटर पाठ्यक्रम डिप्लोमा/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र;

(ग) खेलकूद में प्रवीणता (राष्ट्रीय स्तर) (केवल वे अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, उसमें केवल विजेता खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी);

(घ) एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्रधारी;

टीप :-

1. आवेदन-पत्र भरते समय बोनस संबंधी प्रमाण-पत्र का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए बाद में दिया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
2. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद आरक्षक एम.टी. (चालक) है तो उसे उक्त तालिका के (क) में उल्लेखित बोनस अंक की पात्रता नहीं होगी।

(10) **यात्रा-भत्ता :-** लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जावेगा।

(11) चयन सूची :-

- आरक्षक (जी.डी.) कुल पूर्णांक 250 अंक तथा बोनस के 10 अंक की गणना पृथक से की जावेगी। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट-150 अंक, लिखित परीक्षा-100 अंक तथा बोनस अंक-10 अंक (केवल पात्रतानुसार) के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी। लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रवीणता टेस्ट, बोनस अंकों में अभिप्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट क्रम में सूची तैयार की जावेगी।
- आरक्षक एम.टी. (चालक) एवं आरक्षक ट्रेडमेन (अकुशल) कुल पूर्णांक 100 अंक {ट्रेड से संबंधित लिखित परीक्षा-80 अंक एवं प्रायोगिक परीक्षा-20 अंक कुल-100 अंक} तथा बोनस के 10 अंक की गणना पृथक से की जावेगी। ट्रेड टेस्ट-100 अंक {ट्रेड से संबंधित लिखित परीक्षा-80 अंक एवं प्रायोगिक परीक्षा-20 अंक कुल-100 अंक} तथा बोनस अंक-10 अंक (केवल पात्रतानुसार) के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी। ट्रेड टेस्ट तथा बोनस अंकों में अभिप्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट क्रम में सूची तैयार की जावेगी।

(12) स्वास्थ्य परीक्षण :-अभ्यर्थियों को इकाई में आमद देने के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण करवाना होगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।

(13) अर्हताएँ एवं अनर्हताएँ :-

- i आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत किसी भी जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- ii आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
- iii कोई भी पुरुष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
- iv कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- v कोई भी अभ्यर्थी जिसके दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।
- vi अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिये।
- vii आवेदक को आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(14) **अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र :-**

भर्ती के लिये इच्छुक अभ्यर्था दस्तावेज वेंकिंग दिनांक को मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं के द्वारा सत्यापित निम्नांकित प्रमाण-पत्रों एवं अंक सूचियों की प्रतिलिपियाँ तथा 02 छायाचित्र (नवीनतम पासपोर्ट साईज) संबंधित भर्ती केन्द्रों में प्रस्तुत करें :-

1. ऑनलाईन जमा किये गये आवेदन-पत्र की प्रति।
2. शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र।
3. संबंधित ट्रेड (कुक्/वाटर कैरियर/नाई/धोबी/स्वीपर) का अनुभव प्रमाण-पत्र
4. जन्मतिथि प्रमाणीकरण हेतु आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची (जन्मतिथि अंकित हो)
5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
6. जो अभ्यर्था इस विज्ञापन के तहत दर्शात छूट (आयु/शिक्षा/शारीरिक मापदण्ड/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन कर रहा हो, तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
8. नगर सैनिक के लिए 03 वर्ष लगातार सेवाकाल पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र व जिला सेनानी, होमगार्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
9. शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र।
10. छत्तीसगढ़ राज्य स्थित नक्सल पीड़ित परिवार का सदस्य अथवा नक्सल राहत शिविरो में निवास संबंधी प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।

(15) **महत्वपूर्ण :-**

1. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैन्युअल अथवा डॉक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्था को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्था विभाग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। शारीरिक नापतौल, मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्था के चिन्हांकन के बाद ही विभाग पात्रता शर्तों की जाँच करता है एवं तदानुसार ही नियुक्ति हेतु अर्ह माने जावेगे।
4. अनुशासन एवं नियंत्रण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अध्याधीन होंगे तथा नियुक्त कर्मचारी नियोक्ता के नियंत्रण में कार्य करेंगे।
5. चयनित कर्मचारी की नियमानुसार सेवायें या तो कर्मचारी द्वारा नियोक्ता अधिकारी को या नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह का वेतन भुगतान कर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
6. चयन हेतु अभ्यर्था की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति को होगा।

7. चयन, माननीय न्यायालय द्वारा रिट पिटी. क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधधीन रहेगा।
8. भर्ती बाबत कोई भी विधि संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा।
9. शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम/निर्देश मान्य होंगे जो विभाग को लागू हों।
10. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
11. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि संबंधी विवरणिका वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे पूर्णरूपेण पढ़ने के बाद ही फार्म भरा जाये। त्रुटिपूर्ण एवं अधुरे भरे फार्म अमान्य कर दिये जावेंगे।
12. भर्ती संबंधी अद्यतन विस्तृत जानकारी, शारीरिक मापतौल/ शारीरिक दक्षता परीक्षा/ लिखित परीक्षा प्रवेश-पत्र की उपलब्धता छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट www.cgpolice.gov.in में देखा एवं डाउनलोड किया जा सकेगा।



अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल
हेतु-पुलिस महानिदेशक